

मध्य प्रदेश शासन  
रक्खूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

वल्लभ अ  
कमांक-॥१७/१२४३/२०१७/२०-३  
प्रति, संविव

भोपाल, दि ०२४/६/२०१७

सी०बी०एस०ई०  
वई दिल्ली।

**विषय:-** अशासकीय रास्थाओं को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता देतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वालत।

राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय संस्था-(1) एलएनसीटी वर्ल्ड स्कूल, भोपाल (2) एलएनसीटी वर्ल्ड स्कूल इंडौर (3) जय ज्योति स्कूल निशारी, जिला सिंगरौली (4) जैव पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल सागर (5) द विलेज एलिमेंट्री पब्लिक स्कूल धरभगढ़ पोरसा, मुरैना (6) स्कालर्स पब्लिक स्कूल जावरा, जिला रतलाम (7) ऐवाश्री पब्लिक स्कूल करेली, जिला नरसिंहपुर (8) दा रायल ईकोल स्कूल घटवानी पलारी रोड, जिला रिवानी (9) बिलाबांग हाई इन्डरेशनल स्कूल रीवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अवापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को गिल सकें इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में ५०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाय।

(2) विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावारा भवन सुविधा आदि आवश्यकतावृत्ति उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाय।

(3) इस संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

(4) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता गिलने के उपरांत भी माध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की गान्धीता विधम, २०१७ में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

(5) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में ५०प्र० शारन, खगूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मेलित करना अविवार्य होगा।

(6) प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का प्रदेश आदि में सहयोग एवं सार्वक भूमिका प्रदान करेंगे।

विरक्तर । 2

## Principal


Billabong High International  
School, Rewa (M.P.)



Billabong High International  
School, Rewa (M.P.)

- //2//
- (7) अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।
- (8) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से कप्त करने की सुविधा रहेगी। विज्ञी दुकान विशेष से कप्त करने की आव्याहन नहीं रहेगी।
- (9) शिक्षण संस्थाओं में मान० उच्चतम व्यायालय द्वारा दिये गये विर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले विर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा।
- (10) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे परेलू एल०पी०जी० आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (11) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों की प्रवेश देने से इच्छार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- (12) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का रांगड़ण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

गद्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशभुजार,

  
(प्रगोद सिंह)  
उप सचिव

म०प्र०शासन, रकूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दि० २५/६/२०१७

पृ० क्रमांक-|||८/१२४३/२०१७/२०-३


प्रतिलिपि:-

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
- (2) सचिव, आध्यात्मिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
- (3) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-भोपाल/इंदौर/रिंगरौली/सागर/मुरैना/रत्लाम/बरसिंहपुर/सिवनी/रीवा, म०प्र०

विरक्तर..3

Principal

Billabong High International  
School, Rewa (M.P.)

  
Manager  
Billabong High International  
School, Rewa (M.P.)

